राजस्थान सरकार

प्रगति प्रतिवेदन
2014-15

राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड

राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि0

1. निगम की स्थापना

माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार की वर्ष 2010–11 की बजट घोषणा की क्रियान्विति के क्रम में राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रभावी एवं सुदृढ़ बनाने हेतु राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि0 की दिनांक 8–12–2010 को स्थापना की गयी थी।

राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि. का रजिस्ट्रेशन दिनांक 08.12.2010 को कंपनी एक्ट की धारा 617 के अन्तर्गत किया गया है तथा रजिस्ट्रार कम्पनी मामले, राजस्थान जयपुर से दिनांक 27.12.2010 को निगम द्वारा व्यापार प्रारम्भ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया।

2. निगम की अंश पूँजी

निगम की अधिकृत अंश पूँजी 100 करोड़ रूपये है। वर्तमान में प्रदत्त अंश पूँजी 50 करोड़ रूपये है। 50 करोड़ रूपये के अंशों में से 49.93 करोड़ रूपये के अंश महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम हैं तथा शेष 7.00 लाख रूपये के अंश निगम के सात निदेशकों के नाम हैं।

3. निगम का संचालक मण्डल

क्र.सं.	पद नाम	संचालक मण्डल में पद
1	अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि विभाग	निदेशक
2	प्रमुख शासन सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति विभाग एवं उपभोक्ता मामले विभाग	अध्यक्ष
3	प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग	निदेशक
4	प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम	निदेशक
5	विशिष्ट शासन सचिव,वित्त(बजट)विभाग	निदेशक
6	प्रबन्ध निदेशक, राज. राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि0	निदेशक
7	रजिस्टार, सहकारी समितियॉं	निदेशक

निगम के विगत चार वर्षों के वित्तीय परिणाम

(राशि लाख में)

क्र. सं.	विवरण	वर्ष 2010–11	वर्ष 2011–12	वर्ष 2012–13	वर्ष 2013–14
1.	Profit before Interst & Depreciation	–84.29	1419.64	1369.96	944.25
2	Less: Interest	Nil	Nil	Nil	Nil
3	Operational Profit/Loss	–84.29	1419.64	1369.96	944.25
4	Less: Depreciation	0.11	2.90	49.41	40.71
5	Profit/Loss after Interest & Depreciation	–84.40	1416.74	1320.55	903.54
6	Profit/Loss for appropriation	–84.40	925.72	861.29	504.63

5. निगम के कार्य एवं उद्देश्य

5.1 निगम भारत सरकार द्वारा आवंटित खाद्यान्न का भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से उठाव कर पूरे प्रदेश में उचित मूल्य की दुकानों पर आपूर्ति करेगा। निगम परिवहन व आपूर्ति हेतु आवश्यक निविदायें एवं ठेके आदि की कार्यवाही सम्पन्न करेगा।

5.2 राज्य के उपभोक्ताओं के उपयोग हेतु निगम गैर पी.डी.एस. सामग्री, बड़े निर्माताओं (Manufacturers) से क्रय कर बाजार से सस्ते दामों पर उचित मूल्य की दुकानो के माध्यम से उपलब्ध करायेगा।

5.3 चूंकि उचित मूल्य की दुकानों पर प्रभावी आपूर्ति एवं व्यवस्था बनाना निगम का दायित्व होगा, अतः निगम तहसील स्तर पर जहाँ केन्द्रीय भण्डारण निगम या राज्य भण्डारण निगम के गोदाम उपलब्ध नहीं हैं वहाँ राशन सामग्री के भण्डारण हेतु गोदाम आदि किराये पर लेने की व्यवस्था करेगा। लेकिन जहाँ पर राज्य भण्डारण निगम किराये पर गोदाम लेकर किराये पर उपलब्ध कराने की स्थिति में होगा, वहाँ पर निगम भण्डारण हेतु स्वयं गोदाम किराये पर नहीं लेगा।

5.4 निगम राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप कार्य करेगा।

5.5 बाजार में उपभोक्ता वस्तुओं जैसे दलहन, खाद्य, तेल, चीनी आदि के दाम बढने पर निगम बाजार में हस्तक्षेप कर इन उपभोक्ता वस्तुओं को उपलब्ध कराने का कार्य करेगा।

5.6 इसके साथ ही निगम उचित मूल्य की दुकानों पर राशन सामग्री के अतिरिक्त गैर पी.ड़ी.एस. सामग्री जैसे आयोडाइज्ड नमक, चाय, वाशिंग सोप, पिसे हुए मसाले आदि भी उपलब्ध कराता है ताकि आम उपभोक्ताओं को रोजमर्रा की उपभोक्ता वस्तुएं प्रतिस्पर्द्धी कीमतों पर प्राप्त हो सके।

5.7 निगम राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये जाने वाले निर्देशों के अन्तर्गत अन्य कार्य भी करेगा।

6. निगम में स्वीकृत पदों की स्थिति

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलें विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान सरकार, जयपुर के द्वारा दिनांक 24.11.2010 को निगम के त्रिस्तरीय प्रशासनिक ढांचे के लिए पदों एवं सेवाओं के सृजन की स्वीकृति जारी की गई। खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग के आदेश दिनांक 24.11.2010, 28.06.2011, 17.12.2012 एवं 04.06.2013 के द्वारा निगम मुख्यालय हेतु स्वीकृत/ कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण निम्न प्रकार है:–

क्र. सं.	कार्यालय स्तर	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	रिक्तयो के कारण अस्थाई व्यवस्था के रूप में कार्यरत कार्मिक
1.	निगम कार्यालय (मुख्यालय)	59	28	31	51
2.	जिला कार्यालय	272	147	125	46
3.	तहसील स्तर	488	59	429	–

7. निगम का थोक व्यापार

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खाद्यान्न वितरण हेतु निगम को राज्य सरकार द्वारा थोक विक्रेता घोषित किया गया है। निगम का तहसील स्तर पर कोई कार्यालय नहीं होने के कारण समस्त जिलो में तहसील स्तर पर पूर्व से ही कार्यरत थोक विक्रेता अर्थात् क्रय–विक्रय सहकारी समिति, सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार एवं राजस्थान जनजाति क्षेत्रिय सहकारी विकास संघ लि. के द्वारा निगम के प्रतिनिधि के रूप में खाद्यान्न उठाव एवं वितरण का कार्य किया जा रहा है । खाद्य विभाग द्वारा निगम को राज्य स्तरीय थोक विकेता नियुक्त कर नोड़ल एजेन्सी नामित किया गया है।

8. सार्वजनिक वितरण प्रणाली

8.1 गेहूँ की आपूर्ति

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत् पूर्व में राज्य के बीपीएल, स्टेट बीपीएल अन्तोदय एवं अन्नपूर्णा परिवारों को मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा के अन्तर्गत गेहूँ का आवंटन खाद्य विभाग के द्वारा एवं वितरण का कार्य निगम के माध्यम से करवाया जा रहा था। वर्तमान में राज्य में खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 लागू हो जाने के उपरान्त खाद्य सुरक्षा के अन्तर्गत चयनित परिवारों को 5 किलो गेहूँ प्रति व्यक्ति 2 रू. प्रति किलो की दर से तथा बीपीएल एवं एसबीपीएल परिवारों को न्यूनतम 25 किलो गेहूँ एवं अन्तोदय परिवारों को 35 किलो प्रति परिवार प्रति माह 2 रू. प्रति किलो की दर से आपूर्ति किया जा रहा है। गेहूँ का लाभार्थियों को वितरण खाद्य विभाग के निर्देशों के अन्तर्गत उचित मूल्य दुकानों के द्वारा किया जा रहा है। वित्तिय वर्ष 2014–15 में अप्रैल 2014 से जनवरी 2015 तक कुल 2323861 मै. टन गेंहु के आंवटन के विरूद्ध 2309286.55 मै. टन गेहूं का उठाव कर उपभोक्ताओ को वितरित करवाया गया है।

8.2 चीनी आपूर्ति

केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 01.06.2013 से चीनी को लेवी से नियंत्रण मुक्त किया गया है। राज्यों को खुले बाजार से चीनी क्रय कर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उपलब्ध करवाने के निर्देश किये गये हैं जिसके अंतर्गत राज्य को प्रति माह 7342 मै. टन का आवंटन एवं वर्ष में एक बार त्यौहार कोटे का 5092 मैं. टन आवंटन अतिरिक्त प्राप्त होता है। इस प्रकार कुल वार्षिक आवंटन 93196 मै.टन प्राप्त होता है। जून 2013 से अगस्त 2014 तक कुल आंवटन 120314 मै. टन था। जिसके विरूद्ध 115765.65 मै. टन चीनी आपूर्ति हो चुकी है। जुलाई अगस्त की अन्तर मात्रा के लिए कार्यवाही प्रकियाधीन है। माह सितम्बर 2014 की चीनी आपूर्ति हेतु एल 2 बारामती एग्रो लिमिटेड को कार्यादेश दिनांक 27.01.2015 को दिये जा चुके है, जिसकी आपूर्ति प्रकियाधीन है। माह अक्टुबर 2014 से मार्च 2015 तक के लिये टेण्डर किये गये थे जिसकी तकनीकी निविदा 16.01. 2015 को खोली जा चुकी है तथा वित्तीय निविदा खोले जाने की कार्यवाही प्रकियाधीन है।

भारत सरकार का अनुदान :–

भारत सरकार से उक्त योजना के अन्तर्गत 18500 प्रति मै. टन की दर से एकमुश्त चीनी अनुदान राज्य सरकार को दिया जाता है। जिसके क्लेम त्रैमासिक आधार पर तैयार कर चीनी निदेशालय भारत सरकार कृषि भवन, नई दिल्ली को प्रस्तुत किये जाते है। निगम द्वारा जून 2013 से जून 2014 तक के कुल 105630 मै. टन राशि रूपये 195.42 करोड के चीनी अनुदान क्लेम भारत सरकार को भिजवाये जा चुके है। भारत सरकार द्वारा निगम को उक्त क्लेमो की राशि का पुनर्भरण किया जा चुका है। जुलाई 2014 से सितम्बर 2014 तक की पूर्ण चीनी प्राप्त होने पर उक्त अवधि का क्लेम भारत सरकार को भिजवाया जा सकेगा।

01.06.2013 से पूर्व सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत भारत सरकार द्वारा लेवी की चीनी विभिन्न मिलो से राज्य को आंवटित की जाती थी। निगम द्वारा वर्ष 2012–13 से इस व्यवस्था के तहत कार्य प्रारम्भ किया गया था। भारत सरकार की पुनर्भरण एजेन्सी भारतीय खाद्य निगम द्वारा वर्ष 2012–13 का थोक/खुदरा विक्रेताओ का मार्जिन निर्धारित नही होने के कारण निगम की लगभग 23.97 करोड़ रूपये की राशि रोक ली गई है। इसलिए निगम स्तर से दिनांक 27.11.2014 को वर्ष 2012–13 के लिए मार्जिन प्रस्ताव तैयार कर राजस्थान सरकार के माध्यम से चीनी निदेशालय भारत सरकार को भिजवाये जा चुके है तथा मार्जिन प्रस्ताव भारत सरकार के स्तर पर अनुमोदनार्थ विचाराधीन है।

राज्य सरकार का अनुदान :–

वर्ष 2013–14 में राज्य सरकार द्वारा चीनी 13.50 रुपये प्रति किग्रा के स्थान पर 10 रूपये की दर से लक्षित वर्ग को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत चीनी उपलब्ध करवाई गई थी जिसकी अन्तर राशि के लिये 38.97 करोड रूपये राज्य सरकार से प्राप्त होनी थी, जिसके एवज में राज्य सरकार द्वारा 30 करोड रूपये निगम को उपलब्ध कराये गये है शेष 8.97 करोड़ रूपये राज्य सरकार से प्राप्त करने के लिए दिनांक 10.07.2014 एवं 07.10.2014 को लिखा जा चुका है।

वर्ष 2014–15 के लिये अनुमानित अन्तर राशि 30 करोड़ रूपये है, जो राज्य सरकार द्वारा निगम को उपलब्ध कराने हैं इस हेतु राज्य सरकार को दिनांक 26.09.2014 एवं 18.11.2014 को लिखा जा चुका है। इस प्रकार वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 के लिए राज्य सरकार से 38.97 करोड़ रुपये आने शेष है।

9. गैर पी.ड़ी.एस. वस्तुओं का विपणन कार्य

माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन हेतु नॉन पीडीएस सामग्री के अन्तर्गत विभिन्न सामग्री उपलब्ध करवाने के संबंध में कार्यवाही की गई । राज्य में गैर पी.डी.एस. वस्तुओं की उपभोक्ताओं को उचित दरों तथा उच्च गुणवत्ता में निर्बाध आपूर्ति हेतु राज्य सरकार के निर्देशानुसार निगम द्वारा गैर पीडीएस वस्तुओं के उत्पादनकर्ता/निर्माताओं एवं थोक विक्रेताओं से प्रथम चरण में आयोडीनयुक्त नमक, चाय एवं साबुन को उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से आम उपभोक्ताओं को वितरण करने हेतु आवश्यक निविदायें जारी की गई। प्राप्त निविदाओं में न्यूनतम मूल्य पर चाय एवं आयोडाईज वाश नमक आपूर्ति करने वाली कंपनी/फर्मो को आपूर्ति हेतु कार्यादेश दिए गए

तथा अगस्त 2011 से निगम की ब्राण्ड अन्तर्गत (राज ब्राण्ड) चाय एवं नमक का वितरण उपभोक्ताओं को प्रारंभ किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2013–14 में गैर–पीडीएस वस्तुये यथा चाय साबुन, मसाले एवं नमक की सूचना का विवरण :–

क्र.सं.	वस्तुओं का नाम	फर्मो द्वारा आपूर्ति की गई मात्रा किलो में	फर्मो द्वारा जमा कराई मार्जिन मनी की राशि
1	चाय	18,76,575	3,07,65,136
2	साबुन	7,15,870	7,46,052
3	मसाले	14,76,711	85,81,250
4	नमक	3851750	962937.50

वर्तमान में गैर पीडीएस मदों में चाय, पिसे हुए पैक्ड मसाले (हल्दी, मिर्ची एवं धनिया) एवं फ्री फलो आयोडाइज्ड नमक आदि की उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से आम उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवाने के लिये आपूर्ति हेतु खुली निविदाएं आमंत्रित कर प्राप्त निविदाओं में न्यूनतम मूल्य पर आपूर्ति करने वाली कंपनी/फर्मो को आपूर्ति हेतु कार्यादेश दिए गए।

10. अन्नपूर्णा भंडार योजना की प्रगति

उचित मूल्य दुकानों पर सार्वजनिक निजी सहभागिता के माध्यम से जनसाधारण को उच्च गुणवत्ता की मल्टी ब्रॉन्ड वस्तुऐं उचित एवं प्रतिस्पर्धी दरों पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक कार्य योजना प्रस्तुत की गई है, जिसका नाम 'अन्नपूर्णा भण्डार योजना' रखा गया है। इस योजना में राज्य के सात संभागों में पॉच हजार उचित मूल्य दुकानों का चयन किया जा चुका है। प्रायोगिक तौर पर जयपुर शहर में पॉच तथा उदयपुर में एक उचित मूल्य की दुकान ने अन्नपूर्णा भंडार के रूप में माह अक्टूबर, 2014 से कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। जयपुर शहर की उक्त दुकानों पर फ्यूचर ग्रुप के द्वारा लगभग 215 प्रकार की उपभोक्ता वस्तुओं की सप्लाई बिक्री हेतु दी जा रही है।

इन दुकानों के माध्यम से उच्च गुणवत्ता उपभोक्ता वस्तुऐं के बारे में फीडबैक लेने पर उपभोक्ताओं ने बताया है कि वस्तुओं की गुणवत्ता व कीमत के बारे में किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। कुछ वस्तुऐं बाजार भाव से लगभग 3 से 5 प्रतिशत कम कीमत पर बिक्री की जा रही है। अन्नपूर्णा भंडार योजना के दुकानदारों द्वारा एमआरपी की दरों से कम राशि से बिक्री करते हुये उन्हें लगभग 8 से 10 प्रतिशत तक का लाभ हो रहा है। अधिकांश वस्तुओं में बाजार भाव तथा इन दुकानों की बिक्री दर में विशेष अंतर नहीं है। अभी तक इन दुकानों से क्षेत्र के उपभोक्ताओं का जुडाव कम हुआ है। पर्याप्त प्रचार प्रसार के बाद यह योजना सफल हो सकेगी।

इस योजना में कार्य करने हेतु हाईपर सिटी तथा मेट्रो ने भी अपनी सहमति दी है। मल्टी ब्रॉण्ड रिटेल चैन में अन्य ग्रुप्स को लाने के लिए रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

11. विकेन्द्रीकृत खरीद योजनान्तर्गत (DCP) अलवर जिले में रबी विपणन वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 में गेहूँ खरीद :–

राज्य में किसानों को खाद्यान्न उत्पादन का उचित मूल्य मिले, इस हेतु भारतीय खाद्य निगम द्वारा केन्द्रीय पूल में खरीद किये जा रहे गेहूँ की भाँति रबी विपणन वर्ष 2013–14 से प्रायौगिक तौर पर पॉयलेट परियोजनान्तर्गत अलवर जिलें में गेहूँ खरीद का कार्य भारत सरकार एवं राज्य सरकार के मध्य सम्पन्न MOU के तहत राज्य सरकार ने निगम को नोडल एजेन्सी, राजफैड को निगम के मार्फत गेहूँ खरीद करने हेतु "खरीद एजेन्सी" तथा राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम को "भंडारण एजेन्सी" का दायित्व सौंपा गया। जिलें में गेहूँ खरीद हेतु निम्नलिखित क्रय केन्द्र स्थापित किये गये :–

(मैट्रिक टन में)

क्र. स.	वर्ष	जिले में स्थापित क्रय केन्द्रों की संख्या	गेहूँ खरीद हेतु निर्धारित लक्ष्य	वास्तव में खरीद किये गये गेहूँ की मात्रा
1.	2013–14	35	1.50 लाख	54,936.90
2.	2014–15	37	0.80 लाख	88989.00

11.1 किसानों का पंजीयनः–

अलवर जिलें में किसानों को उनकी उपज का ऑन–लाईन भुगतान करने हेतु गेहूँ खरीद का प्रोजेक्ट तैयार करने बाबत निगम द्वारा एन.आई.सी. का सहयोग लिया गया। इस बाबत NIC को निगम द्वारा रबी विपणन वर्ष 2013–14 में 22.44 लाख रूपये तथा 2014–15 में रूपये 24.00 लाख का भुगतान किया गया। व्यापक प्रचार–प्रसार ग्राम पंचायतों के माध्यम से किया गया।

11.2 वित्तीय सहायताः–

राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहन स्वरूप बोनस राशि रूपये 150/– प्रति क्वि. की दर से वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 में घोषित किया गया। बारदाना क्रय हेतु वर्ष 2013–14 में 9.88 करोड़ रूपये ऋण के रूप में राज्य सरकार द्वारा निगम को उपलब्ध कराये गये, जिसे शत प्रतिशत "राजफैड" को अग्रिम रूप में दे दी गई।

11.3 भण्डारण व्यवस्थाः–

रबी विपणन वर्ष 2013–14 में भंडारण हेतु "राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम" (भण्डारण एजेंन्सी) से निगम द्वारा अलवर एवं अलवर जिले के आसपास जिलों में 1,11,200 मैट्रिक टन क्षमता के गोदामों को एक वर्षीय आरक्षण पद्धति के तहत दिनांक 1.04.13 से 31.03.14 की अवधि के लिए भारत सरकार अथवा राज्य भंडार व्यवस्था निगम की दर/शर्तों (इनमें से जो भी कम हो) पर आरक्षित कराया गया। वर्तमान में भारत सरकार की एक वर्षीय गोदाम आरक्षण दर, रूपये 3.38 प्रति 50 किलोग्राम (6.76 प्रति

क्विंटल) प्रतिमाह है, जो दिनांक 01.04.2012 से प्रभावी है। वर्ष 2014–15 में राज्य भण्डार व्यवस्था निगम के माध्यम से वास्तविक उपयोगिता (AUB) के आधार पर अलवर एवं उसके समीपस्थ जिलों में 75,430.00 मै. टन तथा केन्द्रीय भंडार व्यवस्था निगम के 5550.000 मैट्रिक टन क्षमता के सरकारी/निजी क्षैत्र के गोदामों को आरक्षित कराया गया, वर्तमान में वास्तविक उपयोगिता (AUB) के आधार पर आरक्षित गोदामों को किराया राशि रूपये 4.85 प्रति 50 किलोग्राम प्रतिमाह (रूपये 9.70 प्रति क्वि. प्रतिमाह) हैं। निगम द्वारा आरक्षित कराये गये गोदामों एवं उनमें संग्रहित खाद्यान्न (गेहूँ) का विवरण निम्न सारणी में प्रदर्शित किया जा रहा है:–

(मैट्रिक टन में)

वर्ष	आरक्षित गोदामों का स्थान	गोदामों की क्षमता	खरीद किये गये गेहूँ की मात्रा	संग्रहित खाद्यान्न की मात्रा	रिक्त भण्डारण क्षमता	क्षमता से अधिक संग्रहित खाद्यान्न की मात्रा
1	2	3	4	5	6	7
2013–14	अलवर, भरतपुर, बयाना, नदबई, बांदीकुई, लालसोट, एमएम रोड़, हिण्डौन सिटी तथा खैरथल	1,11,200.000	54,936.900	54,926.939	56,273.061	–
2014–15	अलवर, बांदीकुई, हिण्डौन, एम.एम. रोड, खैरथल, नदबई तथा भरतपुर	80,980.000	88,989.000	88,497.820	–	7517.82

11.4 विकेन्द्रीकृत खरीद योजनान्तर्गत (DCP) अलवर जिले में खरीदे गए गेहूँ का क्रय/विक्रय से प्राप्त राशि का विवरण निम्नानुसार है:–

Year	Wheat Procured (in Qntl.)	Storage gain (in Qntl.)	Total (in Qntl.)	Wheat Sold (in Qntl.)	Rate of Sale (per qntl.)	Amount Received (in Rs.)	Remark
1	2	3	4	5	6	7	8
2013-14	549369.00	3490.00	552859.00	552859.00	Rs. 200/-	110571638/-	-
2014-15	889890.00	-	889890.00	853839.15	Rs. 200/-	170767830/-	माह 1/15 तक उठाव

11.5 निगम ने रबी विपणन वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 के विकेन्द्रीकृत खरीद प्रणाली के अन्तर्गत समर्थन मूल्य पर गेहूँ की खरीद के क्लेम भारत सरकार को प्रेषित किए है, जिनके क्रम में प्राप्त राशि एवं बकाया दावों का विवरण निम्नानुसार है :–

(Amount in Crores)

Year	Claims sent to GOI	Period	Wheat (In MTS)	Amount of claim	Amount received from GOI	Amount yet to be received from GOI	Remarks
2013-14	IIIrd Quarter to IVth Quarter	October, 2013 to Feb. 2014	55285.90	83.87	77.63	6.24	Final claim yet to be sent
2014-15	IInd Quarter to IIIrd Quarter	July, 2014 to Dec. 2014	78721.400	114.90	80.84	34.06	GOI released Rs. 25 crores against Rs. 58.31 Crores
	IVth Quarter	January, 2015 to March, 2015	9952.515 (Approx)	-	-	-	Bill yet to be submitted

11.6 वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 में राज्य सरकार द्वारा की गई बजट घोषणा अनुसार निगम द्वारा गेहूँ खरीद हेतु प्राप्त एवं व्यय की गई बोनस राशि का विवरण निम्न प्रकार है :–

(Amount in Crores)

Year	Amount received from State Government		Amount spent/returned/yet to be returned to State Government		
	Head	Amount	Amount	Amount returned	Amount yet to be returned
2013-14	Bonus	299.80	190.25	109.55	Nil
2014-15	Bonus	323.83	323.11	-	0.72